न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 63 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 226

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
1 मसराराम पुत्र रामजी, जाति– माली, निवासी–फालना, तह–सांचौर	1 अमराराम पुत्र रामजी वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 16.09.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मधुसूदन व्यास उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 6 लगायत 8 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 11.05.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा हाड़ेतर, पटवार हल्का–हाड़ेतर के खेत खाता संख्या 97 के खसरा संख्या 304 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 305 रकबा 2.0000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 307 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 308 रकबा 2.8300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 661 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 662 रकबा 1.39 हैक्टेयर जुमले रकबा 8.0700 हैक्टेयर की आई हुई है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त पैतृक पुश्तैनी पारिवारिक आराजी आई हुई है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा आया हुआ है। उपरोक्त खसरा नंबरान की आराजी में से प्रार्थी की कुल 1/5 हिस्से की खातेदारी आराजी पर प्रार्थी की बंटवाड़े की तारीख से शांतिपूर्वक बेरोकटोक कब्जा काश्त आया हुआ है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी के चारों ओर माठे कायम कर समतल कर उपजाउ बनाया है। अप्रार्थीगण की नियत में खोट पैदा हो जाने से अप्रार्थीगण संवत् 2061 के बंटवाड़े से मुकर गये है दिनांक 14.09.2025 को प्रार्थी, प्रार्थी के बंट व हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी में काश्त कार्य कर रहा था इतने में अप्रार्थीगण ने एक नाजायज मजबा बनाकर मौके पर आकर प्रार्थी को उक्त आराजी छोड़कर चले जाने की एलानियां धमकी दी है जबकि प्रार्थी की बंटवाड़े की तारीख से प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त आया हुआ है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अरथाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद के सादिर फरमावें कि मौजा हाड़ेतर के खेत खाता संख्या 97 के खसरा संख्या 304 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 305 रकबा 2.0000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 307 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 308 रकबा 2.8300

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

हैक्टेयर, खसरा संख्या 661 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 662 रकबा 1.39 हैक्टेयर जुमले रकबा 8.0700 हैक्टेयर में से प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी में से प्रार्थी करावें तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 6 लगायत 8 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सरहद मौजा हाड़ेतर के खाता संख्या 97 के खसरा संख्या 304 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 305 रकबा 2.0000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 307 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 308 रकबा 2.8300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 661 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 662 रकबा 1.39 हैक्टेयर जुमले रकबा 8. 0700 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **11.05.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर